(65)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : के0सी0 जैन

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2368-दो/2000 विरूद्ध आदेश दिनांक 29-09-2000 पारित द्वारा अपर बन्दोवस्त आयुक्त म0प्र0 ग्वालियर प्र0क0 80/अपील/95-96.

मौलवी वक्स तनय रसूल वक्स

निवासी उमरहर तहसील देवसर

जिला सीधी म0प्र0

---- आवेदक

विरूद्ध

अमीर वक्स तनय नसूल वक्स

निवासी उमरहर देवसर जिला

सीधी म0प्र0

----अनावेदक

.....

श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक

श्री डी0 एस0 चौहान, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28 जून 2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर बन्दोवस्त आयुक्त म0प्र0 ग्वालियर का प्र0क्र0 80/अपील/95-96 में पारित आदेश दिनांक 29.9. 2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपर कलेक्टर बैढ़न जिला सीधी के समक्ष आवेदक मौलवी वक्स द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि उसकी आराजी पुराना खसरा नम्बर 142 रकवा 0.43 एवं 159/2 रकवा 1.00 कुल आराजी 1.43 से जो नया नम्बर क्रमशः 223 रकवा 0.27 एवं 292 रकवा 0.17 कायम किये गये हैं , उसकी भूमि कम हो गई है। उपरोक्त प्लॉट सुधार कर वांछित रकवा उसे दे दिया जो। अपर कलेक्टर बैढ़न द्वारा उक्त प्रश्करण बनोवस्त अधिकारी सीधी को अंतरित कर दिया गया जो उनके न्यायालय में प्र0क्र0 81/अ-76/91-92 दर्ज हुआ, उपरोक्त प्रकरण में बंदोवस्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.6. 93 के अनुसार आराजी नम्बर 224 रकवा 0.23 है0 में से रकवा 0.13 है0 मौलवी वक्स के खाते में रखते हुये नक्शा संशोधन के आदेश दिये। इस आदेश से दुखित होकर अपील म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत अपर बंदोवस्त आुयक्त म0प्र0 ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत की जो उनके द्वारा आदेश दिनांक 29.9.2000 अनावेदक की अपील स्वीकार की जाकर बन्दोवस्त अधिकारी का आदेश दिनांक 17.6.93 निरस्त करते हुये बंदोवस्त अधिकारी को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि हितबद्व पक्षकारों को पूर्ण सुनवाई का अवसर देते हुये विधिसंगत आदेश पारित करें। इससे व्यथित होकर मौलवी वक्श द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की हैं।

3-आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि बन्दोवस्त के दोरान आवेदक का रकवा कम करते हुये नक्शा कम किया गया है जिसके सुधार हेतु आवेदक ने अपर कलेक्टर बैढ़न

को आवेदन प्रस्तुत किया था जो उनके द्वारा बंदोवस्त अधिकारी सीधी को अंतरित किया बंदोवस्त अधिकारी द्वारा प्रकरण विधिवत जांच कर आवेदक का रकवा कम पाते हुये आदेश दिनांक 17.6.93 द्वारा रकवा पूर्ण करते हुये नक्शा दुरुस्ती का आदेश पारित किया जिसे निरस्त करने में अपर बन्दोवस्त आयुक्त ने वैधानिक त्रुटि की है। उनके द्वारा तर्क में आगे कहा है कि अमीर वक्श द्वारा अपील अत्यधिक विलंब से अर्थात 3 वर्ष प्श्चात प्रस्तुत की जो ग्राह्य योग्य नहीं थी, जो आदेश अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य था। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी बताया है कि आवेदक का जितना रकवा नक्शे में कम दर्शाया गया था उतने ही रकवे के संशोधन का आदेश बंदोवस्त अधिकारी द्वारा पारित किया था। अनावेदक का इसमें कोई रकवा कम नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने का आदेश नितांत अवैध और अनुचित है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर अपर बंदोवस्त आयुक्त का आदेश निरस्त किया जावे।

4- अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि धारा 107(5) म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के अधीन मात्र नक्शे के परिवर्तन में ही सुधार किया जा सकता है किसी के पक्ष में स्वत्व प्रदान या समाप्त नहीं किया जा सकता परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी का रकवा 0.13 है0 भाग पर अनावेदक का स्वत्व समाप्त कर आवेदक के पक्ष में स्वत्व प्रदान कर दिया गया है जो विधि के विपरीत व अवैध है। वादग्रस्त भूमि के पूरे भाग के भूमिस्वामी अनावेदक है। आवेदक ने अनावेदक को अपने मूल आवेदन में न ही पक्षकार बनया और न ही साक्ष्य उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान किया। ऐसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि प्रकिया के विपरीत होने के साथ-साथ नैसर्गिक न्याय सिद्वांतों के विरीत होने से निगरानी निरस्त योग्य है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया है कि आवेदन की निगरानी निरस्त कर अपर बंदोवस्त आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने का निवेदन किया है।

5- उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है।

6- मेरे द्वारा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन किया गया। आवेदक द्वारा म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 107(5) के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। परंतु आवेदन पत्र का जो मजमून है उसमें रकवा का सुधार करवाया जाकर पट्टा अनुसार रकवा दिलाये जाने का निवेदन किया है, लेकिन अपर बन्दोवस्त आयुक्त ने अपने आदेश में पूर्ण विवेचना करते हुये बंदोवस्त अधिकारी ने अपना आदेश पारित करने के पूर्व उसे पक्ष समर्थन का कोई अवसर नहीं दिया और न ही उसे सुना गया तथा बगैर पटवारी तथा राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित कर दिया गया। पटवारी तथा राजस्व निरीक्षक के जो बयान बंदोवस्त अधिकारी द्वारा लिये गये उसके संबंध में भी उसे प्रतिपरीक्षण का कोई अवसर नहीं दिया गया।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अपर बंदोवस्त आयुक्त ने जो आदेश पारित किया हे उसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ, तथा उनके द्वारा प्र0क0 80/अपील/95-96 मं पारित आदेश दिनांक 29.9.2000 विधि के अनुसार होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डलनमध्यप्रदेश
ग्वालियर